कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/Fex no:-01368-222215

पत्रॉकः– 3126 / 12-1 **: दिनॉकः पौड़ी, माह, मार्च, ...16...... 2024**

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः– **Diversion of 4.75 ha of forest land for construction of Bhandeli Bend (Thalisain) To Jakhola Motor Road (Length 9.500 Km) in favour of PMGSY, Garhwal Forest Division, Pauri, District Pauri Garhwal, Uttarakhand.**

सन्दर्भः– आपकी पत्र सं0 1530/12–1, दिनॉक 27–01–2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगाई गई बिन्दुओं की आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही हैः–

<table>
<tr><th>आपत्ति</th><th>अनुपालन आख्या</th></tr>
<tr><td>1. उक्त प्रकरण में भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/263/2015/एफ.सी./2080 दिनांक 07–01–2019 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है जिसके शर्त सं0 10 में उल्लेख किया गया है कि "कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 269 से अधिक न हो"। यदि प्रकरण में 528 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे तो सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र निर्गत होने व प्रभाग को प्राप्त होने के तुरन्त बाद भारत सरकार को अवगत क्यों नहीं कराया गया के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।</td><td>मूल प्रस्ताव में 528 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है एवं ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट–।। में भी 528 वृक्षों को प्रभावित होने का उल्लेख है। मूल प्रस्ताव में उच्च स्तर से अनेकों बार ऑन लाईन ई0डी0एस0 आपत्तियां लगाई गई, जिस कारण मूल प्रस्ताव में कई संशोधन हुये। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को न लिखते हुये सीधे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून से पत्राचार किये जाने के कारण भी मूल प्रस्ताव के वृक्षों की संख्या में हुई भिन्नता से प्रभागीय कार्यालय अवगत नहीं था।
जिस कारण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा मूल प्रस्ताव में उल्लिखित 528 वृक्षों के सापेक्ष 645 वृक्षों का लॉट वन विकास निगम को आवंटित किया गया। उक्त 645 वृक्षों में 0–10 व्यास वर्ग के 118 वृक्ष सम्मिलित थे। अतः अन्तिम स्थिति में 645-118=527 वृक्ष प्रभावित हुये हैं।</td></tr>
<tr><td>2. आपका कार्यालय पत्रांक 1222/12–1, दिनॉक 27.09.2023 के साथ छपान/विकय सूची (संलग्नक–1) के अनुसार वृक्षों की सं0 कुल 645 है तथा आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र दिनांक 04–01–2024 के अनुसार 0–10 व्यास वर्ग के 118 पौध नहीं लिये जाने का उल्लेख है। 0–10 व्यास वर्ग के वृक्ष न लिये जाने (645-118=527) की स्थिति में भी 1 वृक्ष का अन्तर आ रहा है जबकि आपके द्वारा उक्त पत्रांक दिनांक 27–09–2023 के बिन्दु सं0 01 में उल्लेख किया गया है कि मोटर मार्ग निर्माण कार्य में 528 वृक्षों का पातन किया गया है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।</td><td>मूल प्रस्ताव में 528 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है एवं ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट–।। में भी 528 वृक्षों को प्रभावित होने का उल्लेख है। प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा मूल प्रस्ताव में उल्लिखित 528 वृक्षों के सापेक्ष 645 वृक्षों का लॉट वन विकास निगम को आवंटित किया गया। उक्त 645 वृक्षों में 0–10 व्यास वर्ग के 118 वृक्ष सम्मिलित थे। अतः अन्तिम स्थिति में 645-118=527 वृक्ष प्रभावित हुये हैं।</td></tr>
<tr><td>3. उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि आपके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3789/12–1 दिनॉक 26–05–2022 जो इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है के साथ संलग्न प्रभावित होने वाले 528 वृक्षों की सूची, ऑनलाईन पार्ट–।। में तथा आपका पत्रांक 1222/12–1, दिनॉक 27–09–2023 से वृक्षों के छपान/विकय सूची में भिन्नता है जिनका तुलनात्मक विवरण निम्नप्रकार है–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th colspan="2">आपका पत्रांक 3789/12–1, दिनांक 26.05.2022 के साथ संलग्न विवरण के अनुसार</th><th colspan="2">आपका पत्रांक 1222/12–1, दिनांक 27.09.2023 के साथ संलग्न विवरण के अनुसार</th></tr>
<tr><th></th><th>भूमि की श्रेणी</th><th>वृक्षों की सं.</th><th>भूमि की श्रेणी</th><th>वृक्षों की सं.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आरक्षित वन भूमि</td><td>46</td><td>आरक्षित वन भूमि</td><td>274</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वन पंचायत जखोला</td><td>105</td><td>वन पंचायत जखोला</td><td>91</td></tr>
</table></td><td>भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपनी पत्र सं0 2311/12–1, दिनॉक 07–03–2019 से वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैंण को प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के कम में वन वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैंण द्वारा 645 वृक्षों (0–10 व्यास वर्ग 118 वृक्षों को सम्मिलित करते हुये) की छपान सूची प्रस्तुत की गई। उक्त छपान सूची का लॉट तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपनी पत्र सं0 2425/9–1–3, दिनॉक 14–03–2019 2031/9–1–3, दिनॉक 24–01–2020 से प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पौड़ी को लॉट आवंटित किया गया। वन भूमि हस्तान्तरण के</td></tr>
</table>

01C

Scanned with CamScanner

3	वन पंचायत ऐंठी	334	वन पंचायत ऐठी	243	मूल प्रस्ताव के प्रारूप–19 (प्रभावित होने वाले वृक्ष) में भूमि के श्रेणी के सापेक्ष उल्लिखित वृक्षों की संख्या और छपान सूची में भूमि की श्रेणी के सापेक्ष वृक्षों की संख्या में वास्तविक रूप से भिन्नता है।
4	सिविल सोयम कैन्यूर बूमबगड	11	—	—	
5	सिविल सोयम जखोला	32	जखोला सिविल	37	
	योगः–	528		645	

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/263/2015/एफ.सी./1162, दिनॉक 29–11–2022 के कम में चाही गई सूचना का अनुपालन निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:–

प्रश्न	उत्तरालेख
1. It was seen that there is no documentary evidence available in the file reporting the felling of 528 trees. State Government is requested to furnish the documentary evidence/field reports regarding the felling of 528 trees. **<u>Documentary evidence/field reports regarding the felling of 528 trees</u>** अवगत करना है कि विषयगत मोटर मार्ग के सापेक्ष प्रभावित हुये वृक्षों के सम्बन्ध में छपान सूची, पातन अनुज्ञा एवं वन विकास निगम द्वारा पातन के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित त्याग पत्र संलग्न किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में 527 (645-118) वृक्षों का पातन किया गया है। **(संलग्नक–1)**	
2. State Government is requested to furnish documents establishing the detailed examination of the violation and field reports verifying the submissions made by the DFO on the reported felling of trees. **<u>Documents establishing the detailed examination of the violation</u>** पार्ट–। के प्रारूप–19 में प्रस्तावक विभाग एवं डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रजातिवार/व्यासवार विवरण में 528 वृक्ष प्रभावित होने की सूचना दी गई। प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध पार्ट–। के प्रारूप–21 में प्रस्तावक विभाग एवं डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 528 अंकित की गई है। पार्ट–।। के बिन्दु सं0 4 (ii) में डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये आवंटित भूमि में अवस्थित वृक्षों की संख्या में 528 वृक्षों की सूचना दी गई है। पार्ट–।।। के बिन्दु सं0 2 में वन संरक्षक द्वारा प्रश्नगत में परियोजना क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 528 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, मुख्यालय सतुपली की पत्र सं0 194, दिनांक 26.05.2018 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सम्बोधित करते हुये बिन्दु सं0 4 में उल्लेख किया गया है कि चयनित मोटर मार्ग के संमरेखण पर 528 वृक्षों की गिनती की गई है, जिसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर है परन्तु वास्तविक रूप से मोटर मार्ग की चौड़ाई 6.00 मीटर में की जानी है जिसके हेतु 270 वृक्षों का पातन किया जाना है। **(संलग्नक–2)** दिनांक 07.01.2019 को भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की गई– राज्य सरकार द्वारा परिवेश पोर्टल पार्ट–।। के पैरा 4 (ii) में 269 वृक्षों की संख्या अपलोड करेगी। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी– कम से कम वृक्षों का पातन/कटान किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 269 से अधिक न हो। सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैंण को प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की छपान सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके कम में वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैंण द्वारा 527 (645-118) वृक्षों की छपान सूची प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी। मूल प्रस्ताव में 528 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है एवं ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट–।। में भी 528 वृक्षों को प्रभावित होने का उल्लेख है। मूल प्रस्ताव में उच्च स्तर से अनेकों बार ऑन लाईन ई0डी0एस0 आपत्तियां लगाई गई, जिस कारण मूल प्रस्ताव में कई संशोधन हुये। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को न लिखते हुये सीधे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून से पत्राचार किये जाने के कारण भी मूल प्रस्ताव के वृक्षों की संख्या में हुई भिन्नता से प्रभागीय कार्यालय अवगत नहीं था। जिस कारण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा मूल प्रस्ताव में उल्लिखित 527 (645-118) वृक्षों का लॉट वन विकास निगम को आवंटित किया गया। **<u>Field reports verifying the submissions made by the DFO on the reported felling of trees</u>** विषयगत प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैंण से आख्या मांगी गई थी। वन क्षेत्राधिकारी की जांच आख्या पत्रांक 200/12–1, दिनांक 25.09.2023 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 25.09.2023 को विषयगत मोटर मार्ग स्वयं निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विषयगत मोटर मार्ग में निर्माण कार्य पूर्ण	

Scanned with CamScanner

हो चुका है, जिसमें यानपथ (Black topped Carriageway) का भी निर्माण पूर्ण हो चुका है। 527 (645-118) वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा 10.05.2019 से 11.09.2020 एवं 15.02.2020 से 17.05.2021 में किया गया है, जिसमें कि अबतक दो वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर वृक्ष के पातन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के खूंट या अन्य चिन्ह मौजूद नहीं हैं, जिस कारण प्रश्नगत प्रकरण में वृक्ष पातन के सम्बन्ध में फील्ड आख्या देना सम्भव नहीं है।

3. State Government is requested to provide details of;

(i) The agency responsible for felling of trees, and

प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा वृक्षों के पातन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को लॉट आवंटन किया गया।

(ii) Authority responsible for issuing the order for feeling of trees in excess to the number of trees for which felling permisssion was granted.

मूल प्रस्ताव में 528 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है एवं ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट–।। में भी 528 वृक्षों को प्रभावित होने का उल्लेख है। मूल प्रस्ताव में उच्च स्तर से अनेकों बार ऑन लाईन ई0डी0एस0 आपत्तियां लगाई गई, जिस कारण मूल प्रस्ताव में कई संशोधन हुये। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को न लिखते हुये सीधे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून से पत्राचार किये जाने के कारण भी मूल प्रस्ताव के वृक्षों की संख्या में हुई भिन्नता से प्रभागीय कार्यालय अवगत नहीं था।

जिस कारण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा मूल प्रस्ताव में उल्लिखित 527 (645-118) वृक्षों का लॉट वन विकास निगम को आवंटित किया गया।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Scanned with CamScanner

E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.comcfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः–

/ ,दिनांक, पौड़ी, मार्च, 30 2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषयः– **Diversion of 4.75 ha of forest land for construction of Bhandeli Bend (Thalisain) To Jakhola Motor Road (Length 9.500 Km) in favour of PMGSY, Garhwal Forest Division, Pauri, District Pauri Garhwal, Uttarakhand. (FP/UK/ROAD/10146/2015)**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/06/263/2015/FC/1162 दिनांक 29.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3126/12–1 दिनांक 16.03.2024 (संलग्नक–1) से भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसमें बिन्दुवार निम्नप्रकार स्थिति स्पष्ट हुई है–

क्र0	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	आख्या
1	It was seen that there is no documentary evidence available in the file reporting the felling of 528 trees. State Government is requested to furnish the documentary evidence/ field reports regarding the felling of 528 trees.	प्रभागीय कार्यालय द्वारा छपान सूची, पातन अनुज्ञा एवं वन विकास निगम द्वारा पातन के उपरान्त लौट का त्याग पत्र प्रेषित किया गया है (संलग्नक–2)। जिससे स्पष्ट है कि 645 वृक्षों की छपान सूची दो बार दी गई है। – प्रथम लौट (09/2018–19) 274 वृक्षों की दी गई जिसमें 0–10 के 118 वृक्ष सम्मिलित हैं। – द्वितीय लौट (05/2019–20) 371 वृक्षों की दी गई।
2	State Government is requested to furnish documents establishing the detailed examination of the violation and field reports verifying the submissions made by the DFO on the reported felling of trees.	प्रभागीय कार्यालय द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्रेषित सूचियों का समुचित परीक्षण किया गया और अभिलेख सही पाये गये। वृक्षों का पातन किया जा चुका है, मार्ग निर्माण कर Black Top किया जा चुका है और मार्ग वर्तमान में सुचारू है। क्षेत्रीय परीक्षण के क्रम में अवगत कराना है कि दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है पातित वृक्षों के खूंट, चिन्ह स्थापित किया जाना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है।
3	State Government is requested to provide details of: (i) The agency responsible for felling of trees, and (ii) Authority responsible for issuing the order for felling of trees in excess to the number of trees for which felling permission was granted.	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा वृक्षों के पातन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को लॉट आवंटन किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा पत्रांक 2425/9–1(3) दिनांक 14.03.2019 एवं पत्रांक 2031/9–1(3) दिनांक 24.01.2020 से दो चरणों में पातन आदेश निर्गत किए गए।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त,उत्तराखण्ड,पौड़ी।

//Jaideep//

Scanned with CamScanner

E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.comcfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

पत्रांकः– 1916/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्रांक 3126/12–1 दिनांक 16.03.2024 के क्रम में सूचार्थ प्रेषित।

3/4/24

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त,उत्तराखण्ड,पौड़ी।

गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी
पंजीकृत संख्या 3544
फाईल संख्या 12-1
किसको भेजा गया DM
दिनांक 03/04/2024

//Jaideep//

Scanned with CamScanner